पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10743

==========

एस. एस. एंटरप्राइजेज एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय एन. एच. 31, जेल चौक, पूर्णिया - 854301, बिहार-852123 में है अपने साथी साहिर खान (पुरुष, लगभग 28 वर्ष की आयु), इरशाद अहमद खान के पुत्र, निवासी - 107, रोड नंबर 4, पार्क के पास, संपतचक, राजेंद्र नगर, पटना, बिहार-800016 के माध्यम से

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, वित्त, उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय 47 बी, सी. बी. आई. सी., राजस्व विभाग, उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली 110001 में है
3. सी. जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन (संलग्नक), बीर चंद पटेल पथ, पटना
4. अधीक्षक, केंद्रीय जी. एस. टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-पूर्णिया, प्रमंडल-पूर्णिया।

....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री डी.वी. पाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
श्रीमती प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
श्री हिरेश करण, अधिवक्ता
श्रीमती शिवानी देवाला, अधिवक्ता

प्रतिवादीओं के लिए : श्री कृष्ण नंदन सिंह, ए.एस.जी.आई
श्री अंशुमान सिंह, सीनियर एस.सी,सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स.
श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

==========

भारत का संविधान---अनुच्छेद 226----माल और सेवा कर अधिनियम, 2017---धारा 73(9), 73(10), 75(4), 169, 107----सीजीएसटी नियम, 2017---नियम 142(1)(ए)---वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए याचिकाकर्ता पर कर, ब्याज वसूलने और जुर्माना लगाने वाले अधीक्षक, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज- पूर्णिया द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और अलग रखने के लिए रिट याचिका---याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि पोर्टल पर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपलोड नहीं किया गया था और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है---निष्कर्षः पोर्टल में नोटिस अपलोड न करने से आरोपित आदेश का हनन नहीं होगा---याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी जैसा कि आरोपित आदेश के पैरा 7 के हिस्से से स्पष्ट है---याचिकाकर्ता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का वैधानिक उपाय नहीं है और इसलिए उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है --- रिट का निपटारा किया गया। (**पैरा**-2-4)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक न्यायादेश

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तारीखः28-01-2025

तत्काल रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत(तों) की मांग की है:.

"(i) दिनांक 19.04.2024 का आदेश और साथ ही आदेश का सारांश (जिसका विवरण अनुलग्नक - P3 श्रृंखला में निहित है) जिसे प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अधिनियम की धारा 73(9) के तहत पारित किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर, ब्याज और जुर्माना आरोपित किया गया, जो अधिनियम की धारा 73(10) में निर्धारित समय सीमा से परे है, को रद्द और निरस्त किया जाए।

(ii) दिनांकित 19.04.2024 का आदेश और साथ ही आदेश का सारांश (जिसका विवरण अनुलग्नक-पी3 श्रृंखला में निहित है) जिसे प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अधिनियम की धारा 73(9) के तहत पारित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर, ब्याज और दंड आरोपित किया गया है, फॉर्म जी. एस. टी. आर. 3बी में रिटर्न के अनुसार स्वीकृत कर के भुगतान के मद्देनजर, जो महीनेवार दर्शाया गया है, को रद्द और निरस्त किया जाए।

(iii) 19.04.2024 दिनांकित आदेश और साथ ही आदेश का सारांश (जैसा कि अनुलग्नक-पी3 श्रृंखला में निहित है) जिसे प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अधिनियम की धारा 73(9) के तहत पारित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर, ब्याज और

दंड आरोपित किया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के उल्लंघन में है, जो सही अधिकारी द्वारा पोर्टल पर सूचना के सारांश और आदेशों के सारांश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा करने का निर्देश देता है, इस आदेश को अमान्य करता है?

(iv) कोई अन्य राहत देने के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता अन्यथा हकदार पाया जाता है।"

2. याचिकाकर्ता ने पैरा 28 में कहा कि उनके पास मांगी गई राहत के लिए इस माननीय न्यायालय का रुख करने के अलावा कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय नहीं है। इसके समर्थन में, वह अनुलग्नक-पी/2 निर्देश संख्या 04/2023- जी. एस. टी., पैरा 3 पर इस हद तक निर्भर कर रहे हैं कि सी. जी. एस. टी. नियम, 2017 के नियम 142 (1) (ए) के तहत फॉर्म जी. एस. टी. डी. आर. सी.-7 में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस अपलोड नहीं किया गया था। वह जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 75 (4) पर भी इस हद तक निर्भर कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता को अवसर नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, दिनांकित 19.04.2024 के आक्षेपित आदेश में, पैरा 7 के हिस्से को निम्नलिखित बताया गया हैः

"व्यक्तिगत सुनवाई

07.02.2024, 12.02.2024 और 16.02.2024 पर तत्काल मांग सह कारण दिखाएँ नोटिस (डी. आर. सी.-01) के खिलाफ व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। हालांकि, कोई भी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।"

3. उपरोक्त सामग्री याचिकाकर्ता द्वारा विवादित नहीं है। केवल पोर्टल में नोटिस को अपलोड न करने से विवादित आदेश अमान्य नहीं होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी, जैसा कि उद्धृत (उपर्युक्त) विवादित आदेश के पैरा 7 के हिस्से से स्पष्ट है। इसलिए,

हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि याचिकाकर्ता ने जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 75 (4) के साथ पठित निर्देश संख्या 04/2023-जी. एस. टी. दिनांक 23.11.2023 (पैरा 3) के तहत पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस अपलोड करने की अपने अधिकार को, निहितार्थ रूप से, त्याग दिया है। इस समय, जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 75 (4) के साथ पठित अनुलग्नक-पी/2 के हिस्से की जांच करना उचित नहीं है। इसके अलावा सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 169 इस प्रकार हैः-

"169. कुछ परिस्थितियों में नोटिस की सेवाः–

(1) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संचार निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक द्वारा किया जाएगा, अर्थात्ः–

(क) इसे प्रत्यक्ष रूप से देने या एक दूत द्वारा, जिसमें एक कूरियर भी शामिल है, प्राप्तकर्ता या कर योग्य व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या अधिकृत प्रतिनिधि को या एक अधिवक्ता या एक कर प्रैक्टिशनर जो कर योग्य व्यक्ति की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का अधिकार रखता हो, या व्यवसाय से संबंधित मामलों में नियमित रूप से उससे नियोजित व्यक्ति को, या करयोग्य व्यक्ति के साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क सदस्य को देने या प्रेषित करके; या

(ख) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा देय पावती के साथ, उस व्यक्ति को जिसके लिए यह अभिप्रेत है या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, उसके व्यवसाय या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर; या

(ग) पंजीकरण के समय दिए गए या समय-समय पर संशोधित किए गए उसके ई-मेल पते पर संचार भेजकर; या

(घ) इसे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराकर; या

(ङ) उस इलाके में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा जिसमें कर योग्य व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया है, अंतिम बार निवास करने, व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है; या

(च) यदि उपरोक्त तरीकों में से कोई भी व्यवहार्य नहीं है, तो इसे उसके अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निवास स्थान पर किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाकर और यदि ऐसा तरीका किसी कारण से व्यवहार्य नहीं है, तो संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसकी एक प्रति चिपकाकर, जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया या जिसने ऐसा समन या नोटिस जारी किया।

(2) प्रत्येक निर्णय, आदेश, समन, सूचना या कोई संचार उस तारीख को दिया गया माना जाएगा जिस दिन इसे निविदा या प्रकाशित किया जाता है या इसकी एक प्रति उप-धारा (1) में प्रदान की गई तरीके से चिपकाई जाती है।

(3) जब ऐसा निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या कोई संचार पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो यह पता प्राप्तकर्ता द्वारा सामान्य रूप से पारगमन में ऐसे डाक द्वारा ली गई अवधि की समाप्ति पर प्राप्त किया गया माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।"

इसलिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत नोटिस/आदेश पारित किया गया। सामान्य पोर्टल पर सूचना या आदेश उपलब्ध कराना सेवा का एक और वैधानिक रूप से अनुमेय तरीका है।

4. उपरोक्त चर्चा के आलोक में याचिकाकर्ता के पास अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत अपील का वैधानिक

उपाय है और इसलिए उसे अपीलीय प्राधिकरण में भेज दिया गया है। यदि ऐसी अपील छह सप्ताह के भीतर दायर की जाती है, तो उस स्थिति में, अपीलीय प्राधिकरण वर्तमान याचिका दायर करने की तारीख से आज तक की देरी की अवधि को छोड़कर याचिकाकर्ता की अपील की जांच करेगा। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2024 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4541 में मेसर्स मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शंस बनाम भारत संघ के मामले में लिया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मेसर्स गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण एवं अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 95** के मामले के निर्णय को पैरा 2 में ध्यान में रखा गया, क्योंकि वैकल्पिक उपचार को समाप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा **मेसर्स विश्वनाथ ट्रेडर्स बनाम भारत संघ एवं अन्य** 2023 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 82 में ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि निर्धारिती भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद हैं, जैसे (i) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है; (iii) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से कानून के अधिकार के बिना या अधिकार क्षेत्र के बिना है; या किसी कानून के अधिकारों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस फैसले के पैरा 2 में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के तीन नोटिसों के बावजूद सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए, रिकॉर्ड के सामने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है।

5. तदनुसार, 2023 की वर्तमान सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10743 का निपटारा किया जाता है।

6. इस स्तर पर, निर्देश पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पोर्टल पर विवादित आदेश अपलोड न होने की स्थिति में अपील दायर करने में बाधा उत्पन्न होगी. इस संबंध में, अधिकारियों- प्रतिवादीओं को निर्देश दिया जाता है कि वे पोर्टल पर अपलोड करने या जहां तक कि मैनुअल मोड में अपील दायर करने की बात है, पूर्व-जमा स्वीकार करने जैसी समस्या पर ध्यान दें और उसे हल करें।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

अभिषेक कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।